उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-60/2019/409/92-2-19-50जॉच/2016
लखनऊ:: दिनांक:: 25 मार्च 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद गाजियाबाद में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 16-05-2017 के अनुसार परिलक्षित कुल शासकीय क्षति, जी0एस0बी0 के ग्रेडेशन टेस्ट न किये जाने हेतु शिथिल नियंत्रण आदि के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-123/2017/1010/92-2-17-50जांच/ 2016 दिनांक 14-07-2017 द्वारा श्री देवेन्द्र बाल्यान, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजियाबाद के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल्-वाराणसी को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-वाराणसी द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या दि0 12-03-2018 सतही तथ्यो के परे एवं औचित्यपूर्ण न पाये जाने पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0--लखनऊ को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 655/92-2-18-50 जांच/2016 दिनांक 14-05-2018 द्वारा पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ के पत्र संख्या-1930 / ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/अधि0अभि0/18-19 दि0 03-10-2018 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 06 आरोपों में से सभी आरोपों में कार्य सम्पादन के समय अपने अधीनस्थों को समुचित दिशा निर्देश न दिये जाने, कार्य के प्रति अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन न करने तथा शिथिल नियंत्रण करने के लिये बचाव उत्तर व साक्ष्य न प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-3035/92-2-18-50जांच/16 दि0 29-11-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया, जो कि उनके पत्र सं0-मेमो/ग्रा0अ0वि0 /जांच/2016-17 दिनांक 29-01-2019 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया।

5- अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में टी0ए0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या जिसमें त्रुतियां गम्भीर प्रकृति की न पाये जाने एवं पूरी संरचना एवं उसके किसी भाग की सुरक्षा संदेहजनक न होने, टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति 2 प्रतिशत की सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत पाये जाने एवं उक्त शासकीय क्षति की सम्पूर्ण धनराशि संबंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा जमा कर दिये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री देवेन्द्र बाल्यान, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- गाजियाबाद सम्प्रति महाप्रबंधक (परि0) यमुना एक्सप्रेस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वे, औदयोगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14-07-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही बिना किसी दण्डके समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-60/2019/409/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री देवेन्द्र बाल्यान, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजियाबाद सम्प्रति महाप्रबंधक (परि0) यमुना एक्सप्रेस वे, औदयोगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।